[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 17 मार्च, 2016

का.आ. 1146(अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"8कक. कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों के धारण की अवधि का अवधारण की पद्धति:--

(1) वह अवधि जिसके लिए अधिनियम की धारा 2 के खंड (42क) के स्पष्टीकरण के खंड (i) में उल्लिखित पूंजी आस्तियों से भिन्न कोई पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारण किया हुआ है, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में अवधारण किया जाएगा ।

(2) पूंजी आस्ति की दशा में, जो कंपनी के शेयर या डिबेंचर है अधिनियम की धारा 47 के खंड (भ) में उल्लिखित परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, वहां वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए यथास्थिति, बंधपत्र, डिबेंचर, डिबेंचर-स्टॉक या निक्षेप प्रमाणपत्र संपरिवर्तन से पूर्व निर्धारिती द्वारा धारित किए गए थे ।"

(अधिसूचना सं.18/2016/फा.सं.142/1/2016- टीपीएल)

(एकता जैन)
उप सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1101(अ) तारीख 15 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था ।